भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2536

(13 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम जी अधिनियम के लिए परामर्श

2536. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम के प्रारूप को प्रस्तुत करने और जनता या हितधारकों के लिए खोलने से पहले कुल दिनों की संख्या के संबंध में परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई थी;
(ख) प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान परामर्श किए गए हितधारकों की श्रेणियां कौन-कौन सी हैं, जिनमें राज्य सरकारें, ग्रामीण श्रमिक संगठन, नागरिक समाज समूह, विशेषज्ञ और उद्योग या कार्यान्वयन भागीदार शामिल हैं और प्रत्येक श्रेणी के साथ कितनी परामर्श बैठकें आयोजित की गई; और
(ग) क्या सरकार ने राज्यों के लिए वीबी-जी राम जी अधिनियम के वित्तीय प्रभावों का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): पिछले बीस वर्षों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) ने ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने में योगदान दिया है। तथापि, सामाजिक सुरक्षा कार्यकलापों के व्यापक कवरेज और प्रमुख सरकारी योजनाओं के संतृप्ति-उन्मुख कार्यान्वयन द्वारा संचालित ग्रामीण परिदृश्य में साक्षी महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के मद्देनजर इसे और सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया था। इसी तरह, ग्रामीण संपर्कता, ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच में वृद्धि हुई है, कार्यबल विविध हो गया है, और आकांक्षाएं बेहतर आय, विकासोन्मुखी बुनियादी ढांचे, स्थायी आजीविका और अधिक जलवायु अनुकूलता की ओर परिवर्तित हो गई हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों, मनरेगा श्रमिकों, पदाधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों, विशेषज्ञों आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भागीदारी, पारदर्शिता और डिजिटल शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मनरेगा की प्रभावशीलता में सुधार के लिए हितधारकों के सुझाव और विचार प्राप्त करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक विचार-मंथन सत्र भी आयोजित किया गया। राज्यों से प्राप्त परामर्श और प्रतिक्रिया के आधार पर मंत्रालय द्वारा कई प्रशासनिक और तकनीकी सुधार किए गए हैं।\

तथापि, गहरे संरचनात्मक मुद्दे बने रहे। कई राज्यों में निगरानी से पता चला कि जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जा रहा है, व्यय वास्तविक प्रगति से मेल नहीं खाता है, श्रम-गहन कार्य में मशीनों का उपयोग और डिजिटल उपस्थिति प्रणालियों को बार-बार दरकिनार किया जा रहा है। चूंकि महात्मा गांधी नरेगा योजना की समग्र संरचना अपनी सीमाओं तक पहुंच गई थी, इसलिए ग्रामीण वास्तविकताओं के विकास के आलोक में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, कई पूरक सरकारी योजनाओं को कवर करते हुए एक एकीकृत, संपूर्ण-सरकार ग्रामीण विकास ढांचे की स्थापना के लिए सुदृढ़ अभिसरण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा, यह महसूस किया गया कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण खंडित प्रावधान से एक सुसंगत और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण में परिवर्तित होना चाहिए, जिसके लिए यह भी आवश्यक है कि संसाधनों को निष्पक्ष तरीके से वितरित किया जाए ताकि असमानताओं को कम किया जा सके और देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्देश्य मानकों के आधार पर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग): विकसित भारत ग्राम योजना अधिनियम के तहत केंद्र-राज्य वित्तीय हिस्सेदारी पद्धति के बारे में चिंताओं के संबंध में, यह उल्लिखित किया जाता है कि, ऐतिहासिक रूप से, देश में कई प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्त पोषण मॉडल पर संचालित हुई हैं। उदाहरण के लिए:

I. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) ने 75:25 साझाकरण पद्धति का पालन किया गया।
II. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) ने 50:50 मॉडल अपनाया।
III. जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) 80:20 के आधार पर संचालित हुई।
IV. एसजीआरवाई, ईएएस और जेजीएसवाई जैसी योजनाएं भी केंद्र-राज्य साझाकरण पद्धति पर लागू की गईं, आम तौर पर 75:25 के अनुपात में।

वर्तमान में, विभिन्न क्षेत्रों में अधिकांश केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) 60:40 साझाकरण मॉडल पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इसलिए इस अधिनियम के तहत अपनाया गया 60:40 पद्धति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के व्यापक ढांचे के अनुरूप है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत-गारंटी के लिए ₹95,692.31 करोड़ का केंद्रीय अंश का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान चरण में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। संबंधित अनुमानित राज्य अंश को शामिल करने के साथ, कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवर्तन, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आय वृद्धि में काफी तेजी आने की उम्मीद है।

यह मॉडल ग्रामीण विकास में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर) के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जहां 90:10 केंद्र-राज्य साझाकरण पद्धति लागू होता है।

साथ ही, अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या अन्य असाधारण परिस्थितियों की स्थिति में, राज्य सरकारें केंद्र को विशेष परिचालन छूट की सिफारिश कर सकती हैं। केंद्र सरकार ऐसी स्थितियों में अनुमेय कार्यों के विस्तार, दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में छूट और रोजगार प्रावधानों में अस्थायी वृद्धि की अनुमति देने के लिए सशक्त है। इस प्रकार ढांचा उत्तरदायी, लचीला और उभरती जरूरतों के प्रति संवेदनशील है।

कुल मिलाकर योजना के वित्त पोषण पद्धति (फंडिंग पैटर्न) को राजकोषीय जिम्मेदारी, राज्य की भागीदारी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।